

- ✓ विधिवत रूप से पूर्ण भरा **आवेदन फॉर्म एवं क्रेडिट जानकारी**
- ✓ आवेदक एवं सह-आवेदक/गारंटीकर्ता (यदि कोई है) के **केवाईसी दस्तावेज़** :
 - ❖ पहचान प्रमाणपत्र (पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ पासपोर्ट/आधार कार्ड आदि)
 - ❖ निवास प्रमाणपत्र (ड्राइविंग लाइसेन्स/पासपोर्ट/आधार आदि)
 - ❖ नवीनतम पासपोर्ट आकार की दो फोटो
- ✓ वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए – **आय प्रमाणपत्र** अर्थात पिछले 2 वर्ष का आईटीआर/फॉर्म 16, पिछले 3 माह की वेतनपर्ची और अन्य आय, यदि कोई है, के प्रमाणपत्र (यदि आईटीआर/फॉर्म 16 में नहीं दर्शाया गया है)
- ✓ वेतनभोगीयों के अलावा अन्य के लिए – **आय प्रमाणपत्र** अर्थात पिछले 3 वर्ष का आईटीआर और अन्य आय, यदि कोई है, के प्रमाणपत्र (यदि आईटीआर/फॉर्म 16 में नहीं दर्शाया गया है).
- ✓ पिछले 6 माह का **बैंक विवरण**.
- ✓ **Property documents** (based on proposed property i.e. Flat/House/Plot):
 - ❖ बिक्री के लिए करार/आबंटन पत्र.
 - ❖ संपत्ति के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज़ की प्रति : स्वामित्व विलेख/मूल बिक्री विलेख/सोसाइटी द्वारा जारी शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) और स्वामित्व को दर्शाने वाले अन्य संबंधित मूल दस्तावेज़. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दूसरी बार या उसके बाद की बिक्री के मामले में, सभी मूल दस्तावेज़ स्वामी/विक्रेता के पास होना चाहिए.
 - ❖ अग्रिम भुगतान रसीद/स्वयं के अंशदान की रसीद
 - ❖ स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित प्लान की प्रति
 - ❖ बिल्डर/डेवलपर/सोसाइटी से अनापत्ति प्रमाणपत्र
 - ❖ राज्य सरकार के नियमानुसार प्रस्तावित निवासी इकाई के निर्माण हेतु सांविधिक एवं नियामक अनुमोदन.
 - ❖ निर्माण/विस्तार/मरम्मत/नवीनीकरण के मामले में, निर्माण/विस्तार/मरम्मत/नवीनीकरण का अनुमानित लागत
- ✓ अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान से **टेक-ओवर** के मामले में अतिरिक्त दस्तावेज़ :
 - ❖ मंजूरी पत्र
 - ❖ पिछले 12 माह के खाते का विवरण.
 - ❖ मौजूदा बैंक से गोपनीय क्रेडिट रिपोर्ट.
- ✓ यदि आवेदक/सह-आवेदक **एनआरआई** है तो निम्न अतिरिक्त दस्तावेज़ है:
 - ❖ रोजगार अनुबंध या प्रस्ताव पत्र (यदि रोजगार अनुबंध अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में है तो इसे अंग्रेजी में रूपांतरित किया जाए और नियोक्ता/भारतीय उच्चायोग द्वारा सत्यापित किया जाए)
 - ❖ कार्य हेतु नवीनतम परमिट.
 - ❖ पासपोर्ट की प्रति .
 - ❖ स्थानीय निवास प्रमाणपत्र, यदि कोई है.
 - ❖ पासपोर्ट पर स्टम्प वीजा.
 - ❖ वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी पहचान प्रमाणपत्र.
 - ❖ यदि एनआरआई आवेदक द्वारा मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) दस्तावेज़ विदेश उपयोग किया जाता है इसे संबंधित भारतीय उच्चायोग द्वारा सत्यापित किया जाए.